**डेरा फलौली**

बनाम

**पंजाब राज्य और अन्य**

24 जुलाई, 1979

**[एन. एल. ऊंटवालिया और ए. पी. सेन, जे. जे.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 धारा 4, 5ए और 17(4)-धारा 17(4) के तहत जारी आदेश, धारा 5ए के प्रावधानों से छूट- कलेक्टर को धारा 17 के तहत तात्कालिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश की वैधता- कानून की आवश्यकता की कानूनी और पूर्ण पूर्ति नहीं।

अपील की अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया गया:

धारा 17 (1) के उपबंधों को लागू करने के लिएः (ए) जिस भूमि के संबंध में अत्यावश्यक उपबंध लागू किया जा रहा है वह बंजर या कृषि योग्य होनी चाहिए और (बी) धारा 5 ए के तहत आपत्ति दर्ज करने के लिए मालिक के अधिकार को समाप्त करने के लिए तत्काल कब्जा लेने की तत्काल आवश्यकता होनी चाहिए और इस अधिकार में आकस्मिक या अभद्र तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। [94 सी, एफ]

मौजूदा मामले में अधिनियम की धारा 17(4) के तहत अधिसूचना में न तो यह उल्लेख किया गया है कि भूमि बंजर या कृषि योग्य है और न

ही अधिनियम के उपबंधों का सहारा लेने की तत्काल आवश्यकता थी। [94 डी]

तात्कालिकता के आधार पर धारा 17 के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को दिया गया निर्देश कानूनी नहीं है और कानून की आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति नहीं है। [94 ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2317/1969

सिविल रिट संख्या 2713/68 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29-8-1968 से।

अपीलार्थी की ओर से एन. एन. केसवानी।

न्यायालय का आदेश **उन्तवालिया, जे.** द्वारा दिया गया।

प्रमाणपत्र द्वारा दायर इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई बिंदुओं पर आग्रह किया गया है। हम सभी बिंदुओं को बताना या उन पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि उनमें से एक को छोड़कर किसी में भी कोई दम नहीं है। हमारी राय में इस अपील में सारगर्भित बात यह होनी चाहिए कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में भी, धारा 17 (4) के तहत एक आदेश दिया जाएगा। धारा 5 ए के प्रावधानों का अनुपालन वैध रूप से किया गया था।अधिसूचना का

अनुच्छेद जिसमें स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला आदेश शामिल है, इस प्रकार है:-

> "उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल यह निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं कि इस मामले में धारा 17 के तहत कार्रवाई तात्कालिकता के आधार पर की जाएगी और धारा 5 ए के प्रावधान इस अधिग्रहण के संबंध में लागू नहीं होंगे।"

यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि उप-धारा (4) के तहत, उपयुक्त सरकार यह निर्देश दे सकती है कि धारा 5 ए के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां राज्य सरकार की राय में उप-धारा (1) या उप- के उपबंध लागू नहीं होंगे। धारा(2) लागू है, अन्यथा नहीं। उप-धारा (1) के उपबंधों को लागू करने के लिए, दो बातों से संतुष्ट होना चाहिए कि जिस भूमि के संबंध में अत्यावश्यक उपबंध लागू किया जा रहा है वह बंजर या कृषि योग्य है और दूसरी बात यह कि तत्काल कब्ज़ा लेने के मामले में आगे बढ़ने की जल्दी है और इसलिए जमीन के मालिक को धारा 5 ए के तहत आपत्ति दाखिल करने का अधिकार उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। अधिसूचना के उस भाग में जो हमने ऊपर निकाला है, न तो यह उल्लेख किया गया है कि भूमि बंजर या कृषि योग्य है और न ही यह बताया गया है कि सरकार की राय में, अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों का सहारा

लेने की कोई तात्कालिकता थी। कलेक्टर को तात्कालिकता के आधार पर धारा 17 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है लेकिन यह कानूनी और कानून की आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 5 ए के तहत संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति के आपत्ति दर्ज करने के अधिकार में ऐसे आकस्मिक या लापरवाह तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि इस मामले में किया गया है।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए इस अपील को स्वीकार करते हैं, रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और अधिनियम की धारा 4 के तहत 23-8-1967 को जारी अधिसूचना के उस हिस्से को रद्द करते हैं जिसने धारा 17 के तहत शक्ति के प्रयोग का निर्देश दिया।

यदि अधिकारियों को सलाह दी जाती है, तो वे अपीलार्थी को धारा 5 ए के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करने का अवसर देने के बाद मामले में आगे बढ़ सकते हैं।

चूंकि दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है, इसलिए लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

एन.वी.के. अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

**[**यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक, राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।**]**

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।